बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय :– बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–19 पर दर्ज "खतवे" जाति के विलोपन के उपरांत "खतवे" को चौपाल अनुसूचित जाति की उपाधि घोषित करते हुए चौपाल जाति का जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य देय सुविधायें प्रदान करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–9 (1) (क) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे, जबकि बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–9 (1) (ग) के अनुसार समय–समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यो का निष्पादन भी आयोग द्वारा किया जायेगा।

(2) पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–239 दिनांक–01.09.2008 द्वारा सलाह दी गई थी कि *राज्य सरकार के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–19 पर दर्ज "खतवे" जाति को विलोपित कर दिया जाय।* उक्त के अनुपालन में राज्य मंत्रिपरिषद् के स्वीकृति के पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–17891 दिनांक–28.12.2012 द्वारा "खतवे" जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) से विलोपित कर दिया गया। साथ ही आयोग के परामर्शानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–4496 दिनांक–18.03.2013 द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित ओ0बी0सी0 की सूची से "खतवे" जाति को विलोपित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया, परन्तु अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से विलोपन के क्रम में खतवे समुदाय के सदस्यों को जाति प्रमाण–पत्र मिलना बन्द हो गया। साथ ही विभिन्न श्रोतों से यह पृच्छा की जाने लगी कि उक्त विलोपन के क्रम में आरक्षण की दृष्टि से "खतवे" जाति का स्थान कहाँ है ?

(3) उक्त परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2222 दिनांक–17.02.2014 द्वारा आयोग से यह परामर्श देने हेतु अनुरोध किया गया कि "खतवे" जाति को अनुसूचित जाति की सुविधा प्रदान होने तक अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का लाभ पूर्ववत् जारी रखा जाय, जिसके क्रम में आयोग के पत्रांक–53 दिनांक–05.03.2014 द्वारा परामर्श दिया गया है कि बिहार में खतवे नाम की कोई जाति नहीं है, बल्कि यह चौपाल की उपजाति/उपाधि है।

(4) उल्लेखनीय है कि *बिहार अधिनियम–12, 1993 की धारा–9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।*

(5) आयोग द्वारा दिये गए परामर्श के आलोक में भली–भाँति विचार करने के उपरांत निर्णय लिया गया है कि बिहार में खतवे जाति अलग नहीं है, बल्कि चौपाल जाति की उपाधि है। साथ ही यह भी निदेश है कि बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–19 पर दर्ज "खतवे" जाति के विलोपन के उपरांत "खतवे" को चौपाल अनुसूचित जाति की उपाधि घोषित की जाय तथा सरकारी अथवा गैर सरकारी राजस्व

अतः उक्त अधिनियम में जहाँ कहीं भी "खुल्द" अंकित है, उसे चौपाल पढ़ा जाय, इस क्रम में अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में बिहार के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति के क्रमांक–7 पर अंकित **"चौपाल"** के अनुसार चौपाल अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना, लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना / कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पटना / बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना / बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना / केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) / पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना / अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना / राज्य महादलित आयोग, बिहार पटना / राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना / बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेन्द्र राम)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11 / वि02–पि0व0आ0–08 / 2008 सा0प्र0 6455 पटना–15, दिनांक– 16.5.14

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11 / वि02–पि0व0आ0–08 / 2008 सा0प्र0 6455 पटना–15, दिनांक– 16.5.14

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना, सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना / बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार पटना, सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना / सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना / उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद, बिहार, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी विश्वविद्यालयों / आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा उपक्रमों / पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के संयुक्त सचिव।

FILE PATH D:/ASHOK SIR-TIPNI-2.DOCX

कार्यालय जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा

ज्ञापांक 1484 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 20/05/2014

प्रतिलिपि : निदेशानुसार पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : निदेशानुसार सभी अनुमण्डल पदाधिकारी /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी वरीय उप समाहर्त्ता / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधेपुरा जिला /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ तथा सभी संबंधितों को ई-मेल से भेजते हुए जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी

जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।